3:28:28 PM

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1204 / FP/UK/ROAD/9600/2015 :देहरादूनः दिनांकः 3 नवम्बर, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः–जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

संदर्भः–आपका पत्रांक 618 / 12–1 दिनांक 12.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.12.2020 के अनुपालन में सूचना उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी सूचना अपूर्ण है। प्रकरण में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करायी जानी है :–

1. बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन में पूर्ण सूचना अपलोड नहीं की गयी है। मानचित्र में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कोडिनेटस अंकित नहीं किये गये हैं।
2. बिन्दु संख्या– 05 के अनुपालन में फॉर्म ए के पैरा–जे में टिप्पणी दी जानी अपेक्षित है।
3. बिन्दु संख्या–06 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के उपयुक्तता प्रमाण पत्र में अभी भी प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम अंकित नही किया गया है।
4. बिन्दु संख्या–07 के अनुपालन में स्पष्ट टिप्पणी दी जानी अपेक्षित है।
5. बिन्दु संख्या–09 के अनुपालन में कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का Duly authenticated certificate उपलब्ध कराया जाना है।
6. बिन्दु संख्या–11 के अनुपालन में प्रेषित की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है।
7. बिन्दु संख्या–12 के अनुपालन में ऑनलाईन पार्ट–2 में सभी वांछित प्रपत्रों / प्रमाण पत्रों को अच्छी तरह से स्कैन कर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अपलोड की गयी समस्त सूचनायें हार्ड प्रति में भी उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित कमियों का निराकरण संबधित प्रभागीय वनाधिकारी / प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्ण कराते हुये समस्त बिन्दुओं की **(12 बिन्दुओं)** एकमुस्त परिपूर्ण सूचना अपनी संस्तुति सहित ऑनलाईन / ऑफलाईन **03 मूल प्रतियों** इस कार्यालय को में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 1204 / FP/UK/ROAD/9600/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव में इंगित कमियों के निराकरण कर एकमुस्त परिपूर्ण सूचना **(12 बिन्दुओं)** सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक के माध्यम से मूल प्रति में ऑनलाईन / ऑफलाईन मय संलग्नकों के इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

03/11/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।